

राशन कार्ड धारक ध्यान दें.....

कृपया अपनी राशन सामग्री हर माह प्राप्त करें।

- राशन डीलर से सामग्री नहीं मिलने पर राशन कार्ड धारक प्रति माह आयोजित ग्राम सभा में तथा निम्न को भी शिकायत कर सकता है :-
 - जिला कलेक्टर
 - जिला रसद अधिकारी
 - उपखण्ड अधिकारी
- कार्ड धारक उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध शिकायत पुस्तिका में भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

उपभोक्ता हमेशा ध्यान दें.....

- आवश्यकता के अनुरूप ही वस्तुएँ क्रय करें, त्यौहार पर अनावश्यक मिठाई, मावा एवं खाद्य वस्तुएँ न खरीदें।
- विक्रय मूल्य केवल वस्तु पर छपे मूल्य के आधार पर न देकर पहले बाजार में कीमतों की तुलना करें।
- मिलावटी संभावना वाली वस्तुओं की खरीददारी में विशेष सतर्कता बरतें।
- डिब्बा या पैकिंग सामग्री का वजन तौल में सम्मिलित न होने दें।
- वस्तु को पैक करते समय तक स्वयं निगरानी रखें कि कहीं वस्तु बदल तो नहीं दी गई।